न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 01 / 2021 (GCMS : 2021/)

1. लाली पत्नी बग्गूराम – मृतक

1/1 मखनराम

1/2 लक्ष्मी देवी उर्फ लच्छो

1/3 रेशमी

1/4 शीलो

1/5 सुन्दो

1/6 चान्दो

1/7 शंकर उर्फ गुलाबिलया

} पुत्र/पुत्रीयां लाली जाति सांसी निवासीयान पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 ममदू राम पुत्र श्रीमती लाली देवी पत्नी बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर –मृतक

2/1 भागो देवी पत्नी ममदूराम जाति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर

2/2 सोनू पुत्र ममदूराम जाति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर

2/3 मोनू पुत्र ममदूराम जाति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर

2/4 बबलू पुत्र ममदूराम जाति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर

2/5 सपना पुत्री ममदूराम जाति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर

2/6 आशा पुत्री ममदूराम जाति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर

2/7 निको पुत्री ममदूराम जाति [illegible]सी पु.आ., श्रीगंगानगर

3. खानाराम – मृतक

3/1 शान्ति देवी पत्नी खाना राम पु[illegible] लाली देवी पत्नी बग्गू[illegible]ति सांसी निवासी पु.आ., श्रीगंगानगर – मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3/2 कालूराम } पिसरान खानाराम पुत्र लाली देवी पत्नी बग्गूराम जाति
3/3 बानिया } सांसी निवासीयान पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

4. रामचन्द पुत्र लाली देवी (मृतक)

4/1 रेशमी देवी पत्नी रामचन्द पुत्र लाली देवी पत्नी बगूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

4/2 विजय पुत्र रामचन्द पुत्र लाली देवी पत्नी बगूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

5. किशन लाल पुत्र लाल जाति सांसी – मृतक

5/1 शीलो पुत्री किशन लाल

5/2 मधु पुत्री किशन लाल ——निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. जलालिया पुत्र रिखिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तह. व जिला हनुमानगढ – मृतक

1/1 गंगूराम – मृतक 28.01.2022

1/1/1 सुन्दरी उर्फ सुन्दो पत्नी गंगु जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी अबादी, वार्ड नम्बर 12, श्रीगंगानगर

1/1/2 शंकर पुत्र गंगु जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी आबादी, वार्ड नम्बर 12, श्रीगंगानगर

1/1/3 रानी पुत्री गंगु पत्नी पूनाराम जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी अबादी, वार्ड नम्बर 12, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

1/1/4 श्याम लाल पुत्र गंगु

1/1/4/1 शम्मी पत्नी श्याम लाल जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी आबादी, वार्ड नं. 12, श्रीगंगानगर

1/1/4/2 ज्योति पुत्र श्याम लाल पत्नी सुनील जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी आबादी, वार्ड नं. 12, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1/1/4/3 दीप पुत्री श्याम लाल जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी आबादी, वार्ड नं. 12, श्रीगंगानगर

1/1/4/4 रोहित पुत्र श्याम लाल जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी आबादी, वार्ड नं. 12, श्रीगंगानगर

1/1/4/5 अमित पुत्र श्याम लाल नाबालिक उम्र 8 वर्ष जहिरये कुदरतीवली माता शम्मो पत्नी श्यामा जाति सांसी निवासी सांसी मोहल्ला पुरानी आबादी, वार्ड नं. 12, श्रीगंगानगर

1/2—लालाराम
1/3—बखुराम
1/4—लच्छुराम
1/5—मंगूराम
1/6—रमेश
1/7—कम्मो देवी
} पुत्र/पुत्रीयां जलालिया जाति सांसी निवासीयान जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

2— कालुराम पुत्र श्री जलालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/1— चूनकी देवी पत्नि श्री कालुराम पुत्र जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर

2/2 — सुनील पुत्र श्री कालूराम पुत्र जलालिया
2/3 — रानी पुत्री श्री कालूराम पुत्र जलालिया
2/4 — किरण पुत्री श्री कालूराम पुत्र जलालिया
} जति सांसी साकिन जरिये माता चूनकी देवी पत्नी श्री कालूराम पुत्र जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

3— गंगो देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।——— मृतक

3/1 — शेरूराम
3/2 — सोमू
3/3 — राजू
} पुत्रगण गंगो पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3/4 – गीता देवी पत्नी शेरूराम—– मृतक

3/4/1 –किरणा –नाबालिग पुत्री शेरूराम

3/4/2 –काजल –नाबालिग पुत्री शेरूराम

3/4/3 – स्नेहा –नाबालिग पुत्री शेरूराम

4– शान्ति देवी पुत्री जलालिया ——–मृतक

4/1 – विक्की पुत्र शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

4/2 – गीता पुत्री शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

4/3 – सुनीता पुत्री शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

4/4 – सीमा पुत्री शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

4/5 – मंगो पुत्री शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसाी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

5 – गंगाराम पुत्र मोजीराम जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर।

6 – रोशनलाल पुत्र शान्ति पुत्री जलालिया जाति सांसी हाल निवासी श्रीगंगानगर।

7 – मुकेश पुत्र शान्ति पुत्री जलालिया जाति सांसी हाल निवासी श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

8 – सुखी पुत्री रिखिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली ——–मृतक

9 – चिड़ी पुत्री रिखिया जाति सांसी साकिन जण्डावाली (मृतक निसंतान)

10 –सोनकी पुत्री रिखिया जाति सांसी साकिन जण्डावाली (मृतक निसंतान)

11 – जिला पुर्नवास अधिकारी, हनुमानगढ (एस डी एम)

12 – सैटलमेन्ट कमीश्नर, श्रीगंगानगर (एस डी एम) ——गैरनिगरानीकर्त्ता

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

01.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर की एडमिशन के बिन्दु पर बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्व हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 147/2010 अनवानी शीर्षक लाली पत्नी बग्गूराम मृतक वगैरहा बनाम जलालिया मृतक वगैरहा अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों के मुआवजा व पुर्नभरण अधिनियम 1954 जिसके अन्तर्गत जलालिया को आवंटित भूमि की जारी सनद संख्या 2782 दिनांक 22.06.1987 में दर्ज तमाम सदस्यों के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार, हनुमानगढ को दिया गया था, जिसे निरस्त करवाने हेतु उनके द्वारा एक निगरानी अति. जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की थी। अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2021 द्वारा उनकी निगरानी, जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड की है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन था कि अति. जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत [illegible] श्रीगंगानगर के **निर्णय के विरूद्ध डीपी एक्ट के अन्तर्गत** [illegible] क्षेत्राधिकार **चीफ सैटलमैंट कमिश्नर एवं जिला** [illegible] को हैं, इसलिए उनकी निगरानी ग्रहण करने योग्य है इसलिए उनकी निगरानी ग्रहण कर अप्रार्थीगण को तलब किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत जिला पुर्नवास अधिकारी का पद श्रीगंगानगर व हनुमागनढ दोनों जिलों के लिए केवल गंगानगर में ही स्थापित किया हुआ था और यह पद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिया गया था। **इस प्रकारण का निंस्तारण केवल जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ही कर सकते थे। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने पुर्नवास अधिकारी के पद के अधिकार नहीं थे इसलिए उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी के रूप में आदेश पारित नहीं कर सकते थे।** इसलिए उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया, जो पोषणीय नहीं होने के कारण उसके आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में निगरानी पेश नहीं की जा सकती है। इसलिए निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी एडमिशन के बिन्दु पर खारिज करने योग्य है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 19.12.2012 से सनद् जारी के आदेश दिये गये थे, के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक निगरानी प्रस्तुत की थी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.10.2021 से निम्न आदेश पारित किया गया है :

आदेश दिनांक [illegible] यह पत्रावली सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर [illegible] संख्या 712 दिनांक 07.06.2005 से [illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की गयी [illegible] इस प्रकरण का निस्तारण करने में सक्षम अधिकारी थे। पुर्नवास विभाग से सम्बन्धित तमाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2005 से निरसन अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2009 से प्रकरण प्रभारी पुर्नवास अधिकारी के पत्र क्रमांक 90 दिनांक 23.04.2010 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को भेज दिया। जिला पुर्नवस अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमागनढ को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार उक्त विवादित प्रकरण सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने भी अपने निर्णय दिनांक 05.06.20214 में क्षेत्राधिकार नही होना स्वीकार किया है। फलस्वरूप जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमागढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2012 निरस्त किया जाता है। चूंकि संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.08.2000 द्वारा पेटीशन स्वीकार करते हुए जिला पुर्नवास अधिकारी के आदेश दिनांक 19.04.1985 व 17.07.1985 एवं सनद् संख्या 2782 पर पारित आदेश दिनांक 22.06.1987 एवं चीफ सेटलमैंट कमिश्नर का आदेश दिनांक 09.03.1998 निरस्त किये जा चुके है। अतः जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को उक्त प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा पुर्नस्थापन हेतु आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन [illegible] की सुनवाई का समुचित अवसर देते [illegible] करें। आदेश की प्रंमाणित प्रति [illegible]कारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमागढ एवं गंगानगर को भि[illegible]ई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
अति. जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

यह प्रकरण **माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर** द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.1998 एवं जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.04.1985 व 17.07.1985 व सनद आदेश दिनांक 22.06.1987 निरस्त कर जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया था जिसे बाद में माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेशों के विपरीत उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को निस्तारण के लिए भेज दिया गया प्रतीत होता है जबकि माननीय संभागीय आयुक्त बीकानेर के आदेशानुसार इस प्रकरण को जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को ही रिमाण्ड किया गया है। इसलिए **सैटलमैंट कमिश्नर एवं अति.जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने पुनः इस प्रकरण को सुनवाई हेतु जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिनांक 11.10.2021 से रिमाण्ड किया गया है।**

चूंकि **माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर** ने अपने आदेश दिनांक 08.08.2000 से मूल प्रकरण जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया था **और जिसमें उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.12.2012 से सनद् जारी करने के आदेश दिये गये है जबकि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के पास जिला पुर्नवास अधिकारी की शक्तियां नहीं थी और उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिनांक 19.12.2012 को जिला पुर्नवास अधिकारी के रूप में आदेश पारित करना के कारण शून्य है जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने भी अपने आदेश दिनांक 05.06.2014 में क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण खारिज किया है।** जिसके सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक निर्णय 2009(3)**Apex Court Judgement 404(S.C.) Muthavalli of Sha Madhari Diwan Wakf S.J.Syed Zakrudee & anr V/s Syed Zindasha & ors** के पैरा–18 में भी निम्न प्रकार से तय किया गया है :

> **"In any view of the matter. it is well settled that no amount of consent can confer jurisdiction on a court when it has none. If the court had no jurisdiction any order passed by it is a nullity. When the court lacks inherent jurisdiction, the procedural provision of estoppel, waiver or res-judicata shall also not apply.** {[[sec Chief Justice of Andhra Pradesh & Ors. v. L.Vl A. Dikshitulu & Ors. AIR 1979 SC 193 at 198] and Chandrabhai K. Bhoir & ors. v Krishna Arjun Bhoir & Ors. 2009(1) Apex Court Judgments 290(S.C.) : 2009(1) Civil Court Cases 295 (S.C.): 2008 (15) Scale 94]}"

इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांतो के परिपेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी, ह[illegible] के आदेश शून्य हो जाते है एवं उपखण्ड अधिकारी, [illegible] 19.12.2012 के बाद पारित समस्त आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

पैटीशनर के अधिवक्ता का यह कथन कि अति. जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर के **निर्णय के विरूद्ध** डीपी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

एक्ट के अन्तर्गत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को हैं, सही है किन्तु हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है जिस कारण उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ का आदेश दिनांक 19.12.2012 शून्य हो जाता है और उसके पश्चात पारित समस्त आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाते है और माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर का आदेश दिनांक 08.08.2000 अस्तित्व में रह जाता है और माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश दिनांक 08.08.2000 द्वारा प्रकरण जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया है। माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकारी नहीं होने के कारण यह निगरानी एडमिशन के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी एडमिशन के बिन्दु पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सैटलमैंट कमिश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर, जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को भिजवाई जावे। पत्रावली दायर हो और फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक [illegible] मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:13 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
चीफ सैटलमैंट कमिश्नर
एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर